

वादी अनुपस्थित, उसकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं।

प्रतिवादीगण द्वारा श्री सतीश मिश्रा अधिवक्ता।

प्रकरण आज प्रतिवादीगण द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

बार—बार पुकार लगवाये जाने पर भी वादी या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ।

वादी की इस अकारण अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वादी का वाद आदेश 09 सीपीसी के प्रावधान के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

।।।, सी.जे.।।, गोहद